वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

मांग संख्या 11

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	6761.78	797.35	7559.13	6570.66	1211.58	7782.24	6696.42	1685.58	8382.00	7048.00	1300.00	8348.00
वसूलियां	*-30.59*	...	-30.59	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**6731.19**	**797.35**	**7528.54**	**6570.66**	**1211.58**	**7782.24**	**6696.42**	**1685.58**	**8382.00**	**7048.00**	**1300.00**	**8348.00**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	90.40	...	90.40	100.00	...	100.00	121.48	...	121.48	114.36	...	114.36
2. बौद्धिक संपदा												
2.01 बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड का सुदृढ़ीकरण (आईपीएबी)	6.62	...	6.62	10.15	...	10.15	0.37	...	0.37	...	...	...
2.02 पेटेंट डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक	181.56	...	181.56	193.72	...	193.72	196.43	...	196.43	207.95	...	207.95
2.03 प्रतिलिप्याधिकार कार्यालय	2.03	...	2.03	2.71	...	2.71	0.67	...	0.67	...	...	...
2.04 बौद्धिक नीति अधिकार (आईपीआर) नीति प्रबंधन	3.70	...	3.70	9.45	...	9.45	6.34	...	6.34	7.28	...	7.28
2.05 पेटेंट अभिकल्प और ट्रेड मार्क महानियंत्रक में अवसंरचना विकास (आईडीसीजीपीडीटीएम)	...	19.95	19.95	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	16.50	16.50
जोड़- बौद्धिक संपदा	*193.91*	*19.95*	*213.86*	*216.03*	*10.00*	*226.03*	*203.81*	*10.00*	*213.81*	*215.23*	*16.50*	*231.73*
3. संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय												
3.01 पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ)	57.00	...	57.00	60.77	...	60.77	60.67	...	60.67	66.16	...	66.16
3.02 नमक आयुक्त	26.68	...	26.68	31.62	...	31.62	30.92	...	30.92	31.58	...	31.58
3.03 प्रशुल्क आयोग	6.34	...	6.34	6.95	...	6.95	6.95	...	6.95	7.92	...	7.92
3.04 बॉयलर सर्वेक्षण	...	...	...	0.45	...	0.45	0.15	...	0.15	0.25	...	0.25
जोड़- संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय	*90.02*	*...*	*90.02*	*99.79*	*...*	*99.79*	*98.69*	*...*	*98.69*	*105.91*	*...*	*105.91*
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**374.33**	**19.95**	**394.28**	**415.82**	**10.00**	**425.82**	**423.98**	**10.00**	**433.98**	**435.50**	**16.50**	**452.00**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
4. भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी)	153.10	...	153.10	150.00	...	150.00	200.00	...	200.00	...	...	...
5. फुटवेयर, लेदर और सहायक सामग्री विकास कार्यक्रम (एफएलएडीपी)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	208.00	...	208.00
6. औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम (आईआईयूएस)	24.08	...	24.08	13.00	...	13.00	5.60	...	5.60	5.08	...	5.08

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
7. मूल्य एवं उत्पादन आंकड़े	10.33	...	10.33	12.70	...	12.70	19.46	...	19.46	16.23	...	16.23
राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर												
8. राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी)	2600.00	...	2600.00	2000.00	...	2000.00	1089.57	...	1089.57	1500.00	...	1500.00
9. प्रदर्शनी-सह-अभिसमय केन्द्र, द्वारका	...	347.41	347.41	...	245.58	245.58	...	245.58	245.58	...	...	...
जोड़-राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर	**2600.00**	**347.41**	**2947.41**	**2000.00**	**245.58**	**2245.58**	**1089.57**	**245.58**	**1335.15**	**1500.00**	**...**	**1500.00**
मेक इन इंडिया												
10. निवेश संवर्धन हेतु योजना	85.37	...	85.37	90.49	...	90.49	181.00	...	181.00	189.00	...	189.00
11. निधियों का कोष	...	429.99	429.99	...	830.00	830.00	...	1330.00	1330.00	...	1000.00	1000.00
12. क्रेडिट गारंटी निधि	...	...	...	300.00	...	300.00	...	...	...	...	...	...
13. स्टार्ट-अप इंडिया	15.23	...	15.23	20.83	...	20.83	32.83	...	32.83	50.00	...	50.00
14. स्टार्टअप इंडिया प्रारंभिक निधि स्कीम	...	...	...	...	126.00	126.00	...	100.00	100.00	...	283.50	283.50
15. व्यापार करने की सुगमता	7.87	...	7.87	10.00	...	10.00	9.90	...	9.90	12.00	...	12.00
16. सफेद बजाजी सामान (एसी एवंएलईडी लाइट) के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम	...	...	...	1.00	...	1.00	1.18	...	1.18	3.54	...	3.54
जोड़-मेक इन इंडिया	**108.47**	**429.99**	**538.46**	**422.32**	**956.00**	**1378.32**	**224.91**	**1430.00**	**1654.91**	**254.54**	**1283.50**	**1538.04**
पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों का औद्योगिक विकास												
17. पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संर्वधन नीति (एनईआईपीपी)	200.00	...	200.00	150.00	...	150.00	150.00	...	150.00	20.00	...	20.00
18. उत्तर पूर्व औद्योगिक विकास स्कीम (एनईआईडीएस) 2017	15.00	...	15.00	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	150.00	...	150.00
19. परिवहन/ माल भाड़ा सब्सिडी स्कीम	385.00	...	385.00	350.00	...	350.00	382.94	...	382.94	300.00	...	300.00
20. विशेष श्रेणी के राज्यों जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के लिए पैकेज	44.96	...	44.96	20.00	...	20.00	30.00	...	30.00	29.50	...	29.50
21. जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए औद्योगिक विकास स्कीम,2017	...	...	...	100.00	...	100.00	50.00	...	50.00	110.00	...	110.00
22. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास स्कीम,2017	...	...	...	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	31.90	...	31.90
23. जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का औद्योगिक विकास	...	...	...	104.50	...	104.50	1.82	...	1.82	150.00	...	150.00
जोड़-पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों का औद्योगिक विकास	**644.96**	**...**	**644.96**	**854.50**	**...**	**854.50**	**744.76**	**...**	**744.76**	**791.40**	**...**	**791.40**
24. पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में औद्योगिक इकाइयों के लिए केंद्रीय और एकीकृत जीएसटी की वापसी	2716.00	...	2716.00	2507.92	...	2507.92	3807.92	...	3807.92	3631.64	...	3631.64
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**6256.94**	**777.40**	**7034.34**	**5960.44**	**1201.58**	**7162.02**	**6092.22**	**1675.58**	**7767.80**	**6406.89**	**1283.50**	**7690.39**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
25. स्वायत्त संगठन												
25.01 स्वायत्तशासी संस्थाओं को सहायता	71.64	...	71.64	133.17	...	133.17	123.25	...	123.25	136.78	...	136.78
25.02 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन	0.75	...	0.75	0.80	...	0.80	0.80	...	0.80	0.80	...	0.80
25.03 एशियाई उत्पादकता संगठन /संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन	17.17	...	17.17	18.59	...	18.59	18.39	...	18.39	24.87	...	24.87
25.04 स्वायत्तशासी निकायों को सहायता	40.95	...	40.95	41.84	...	41.84	37.78	...	37.78	43.16	...	43.16

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़- स्वायत्त संगठन	*130.51*	*...*	*130.51*	*194.40*	*...*	*194.40*	*180.22*	*...*	*180.22*	*205.61*	*...*	*205.61*
अन्य												
26. वास्तविक वसूली	-30.59	...	-30.59	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**99.92**	**...**	**99.92**	**194.40**	**...**	**194.40**	**180.22**	**...**	**180.22**	**205.61**	**...**	**205.61**
कुल जोड़	***6731.19***	***797.35***	***7528.54***	***6570.66***	***1211.58***	***7782.24***	***6696.42***	***1685.58***	***8382.00***	***7048.00***	***1300.00***	***8348.00***
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	57.00	...	57.00	60.77	...	60.77	60.67	...	60.67	66.16	...	66.16
2. लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय	...	19.95	19.95	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	16.50	16.50
जोड़-सामान्य सेवाएं	**57.00**	**19.95**	**76.95**	**60.77**	**10.00**	**70.77**	**60.67**	**10.00**	**70.67**	**66.16**	**16.50**	**82.66**
आर्थिक सेवाएं												
3. उद्योग	423.60	...	423.60	804.94	...	804.94	634.70	...	634.70	692.68	...	692.68
4. उद्योग और खनिजों पर अन्य परिव्यय	5957.04	...	5957.04	4441.72	...	4441.72	3821.55	...	3821.55	4455.09	...	4455.09
5. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	90.30	...	90.30	100.00	...	100.00	121.48	...	121.48	114.36	...	114.36
6. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	204.97	...	204.97	228.93	...	228.93	223.60	...	223.60	231.66	...	231.66
7. अन्य उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	...	777.40	777.40	...	1201.58	1201.58	...	1675.58	1675.58	...	1283.50	1283.50
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**6675.91**	**777.40**	**7453.31**	**5575.59**	**1201.58**	**6777.17**	**4801.33**	**1675.58**	**6476.91**	**5493.79**	**1283.50**	**6777.29**
अन्य												
8. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	934.30	...	934.30	1834.42	...	1834.42	1488.05	...	1488.05
9. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	-1.72	...	-1.72	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	**-1.72**	**...**	**-1.72**	**934.30**	**...**	**934.30**	**1834.42**	**...**	**1834.42**	**1488.05**	**...**	**1488.05**
कुल जोड़	**6731.19**	**797.35**	**7528.54**	**6570.66**	**1211.58**	**7782.24**	**6696.42**	**1685.58**	**8382.00**	**7048.00**	**1300.00**	**8348.00**

1. **सचिवालय:** उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, आर्थिक सलाहकार कार्यालय के सचिवालय संबंधी व्यय हेतु व्यवस्था करता है।

2.01. **बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड सुदृढ़ीकरण स्कीम (आईपीएबी):** इसकी स्थापना पेटेन्ट नियंत्रक, व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार, भौगोलिक निदर्शन, प्रतिलिप्याधिकार और पौधा किस्म एवं किसान के अधिकार मामलों के संबंध में निर्णय के विरूद्ध अपील की सुनवाई करने के लिए की गई है। ये आईपीएबी उच्च न्यायालयों के अपीलीय क्षेत्राधिकार को प्रतिस्थापित करता है। इस बजट प्रावधान में वेतन और इस बोर्ड के अन्य संस्थापन की आवश्यकता संबंधी व्यय के लिएव्यवस्था है।

2.02. **पेटेंट डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक:** महानियंत्रक पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न: यह कार्यालय औद्योगिक संपदा अधिकारों नामत: पेटेंट अधिनियम, 1970, डिजाइन अधिनियम, 2000, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999, भौगोलिक उपनिदर्शन अधिनियम, 1999, प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 तथा अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिविन्यारस डिजाइन अधिनियम, 2000 से संबंधित कानूनों के प्रशासन के लिए उत्तपरदायी है।

2.03. **प्रतिलिप्याधिकार कार्यालय:** कॉपीराइट कार्यालय कॉपीराइट अधिनियम,1957की धारा 9 के तहत संवैधानिक रूप से स्थापित कार्यालय है।कॉपीराइट कार्यालय कॉपीराइट के रजिस्ट्रार के प्रत्यक्षनियंत्रण में है, जो केन्द्र सरकार निर्देशों के तहत कार्य करता है।

2.04. **बौद्धिक नीति अधिकार (आईपीआर) नीति प्रबंधन:** बौद्धिक नीति अधिकार(आईपीआर) नीति प्रबंधन दो योजनाओं का संशोधित संस्करण है जिसमें एक है बौद्धिक संपदा अधिकार संवर्धन एवंप्रबंधनप्रकोष्ठ (सीआईपीएएम) और दूसरा है संपूर्ण शिक्षा और शैक्षणिक समुदाय के लिए आईपीआर में अध्ययन और अनुसंधान(एसपीआरआईएचए)(पूर्व में कापीराइटऔर आईपीआर का संवर्धन)। यह योजना राष्ट्रीय आईपीआर नीति के रूप है और भारत में आईपीआर जागरूकता, व्यावसायीकरण और प्रवर्तन को आगे बढ़ाने पर विशेष जोर देती है और साथ ही आईपीआर के विभिन्न

क्षेत्रों में अध्ययन / अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए संस्थानों में आईपी शिक्षण भी प्रदान करती है। एसपीआरआईएचपी का लक्ष्य बौद्धिक संपदा शैक्षणिक एवं अनुसंधान सुविधा प्रदान करना है।

2.05. **पेटेंट अभिकल्प और ट्रेड मार्क महानियंत्रक में अवसंरचना विकास (आईडीसीजीपीडीटीएम):** पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क के महानियंत्रक में अवसंरचना विकास (आईडीसीजीडीपीटीएम) पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रकके कार्यालय के तहत विभिन्न कार्यालयों के अवसंरचना के विकास के लिए सहायता प्रदान करेगा।

3.01. **पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ):** यह संगठन की संस्थापना संबंधी लागत हेतु प्रावधान करता है जो भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 तथा ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952 तथा इनके तहत बनाए गए अनेक नियमों का संचालन करता है। यह संगठन विनिर्माण, स्वामित्व, बिक्री, प्रयोग, परिवहन, विस्फोटक/पेट्रोलियम/गैस सिलेंडर तथा प्रेशर वेसल के आयात/निर्यात हेतु लाइसेंस प्रदान करता है। यहसंगठन पाइपलाइनों सहित पेट्रोलियम और विस्फोटक से संबंधित पर्यावरण अधिनियम के तहत खतरनाक रसायन नियमावली 1989 से संबंधित विनिर्माण, भंडारण और आयात का संचालन करता है। यह कार्यालय इन अधिनियमों के अंतर्गत आने वाले सभी मुद्दों पर सभी प्राधिकरणों को सलाह देता है तथा संगठन द्वारा विनाश, जब्त और खराब विस्फोटकों (सैन्य विस्फोटकों के अलावा) का उत्तरदायित्व लेता है।

3.02. **नमक आयुक्त:** यह संगठन नमक के उत्पादन की आयोजना, लक्ष्यों तथा नमक के वितरण, मूल्य निगरानी अध्ययन एवं विभागीय नमक भूमि की देखभाल, नमक संबंधी मानकों तथा गुणवत्ता को बनाए रखने, नमक के निर्यात हेतु उत्तरदायी है । राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता नियंत्रण कार्यक्रम (एनआईडीडीसीपी) के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी है।यह आयोडीन युक्त नमक सहित नमक के उत्पादन और तर्कसंगत वितरण को नियंत्रित करता है। यह नियमित रूप से नमक की कीमत और उपलब्धता पर भी निगरानी रखता है। बजट में संगठन के संस्थापना प्रभार तथा विकास/कल्याण कार्य हेतु प्रावधान किया गया है।

3.03. **प्रशुल्क आयोग:** भारत सरकार ने सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) और अन्य ग्राहक (क्लाइंट) संगठनों को सलाह देने के लिए प्रशुल्क आयोग की स्थापना की है औरनिष्पक्ष और न्यायोचित तरीके से संसूचित निर्णय लेने की सुविधा के लिए अध्ययन आधारित इनपुट प्रदान करते हैं और जिससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए व्यावहारिक सिफारिशों के साथ निर्णय लेने की अपनी क्षमताओं को सक्षम और तीव्र बनाते हैं।यह बजट,आयोग के संस्थापना खर्चों को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है।

3.04. **बॉयलर सर्वेक्षण:** बॉयलर के संचालन और प्रबंधन संबंधी कार्यशालाओं का आयोजन और बॉयलर अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रदान किया जाता है।

4. **भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी):** भारतीय फुटवियर चमड़ा और सहायक सामग्री विकास कार्यक्रम (आईएफएलएडीपी) का मुख्य उद्देश्य, चमड़ा और फुटवियर क्षेत्र के लिए आधारभूत अवसंरचना का विकास करना, विशेष रूप से चमड़ा क्षेत्र से संबंधित पर्यावरणीय चिंताओं का समाधान करना, अतिरिक्त निवेश, रोजगार सृजन और उत्पादन वृद्धि में सहायता प्रदान करना है।

5. **फुटवेयर, लेदर और सहायक सामग्री विकास कार्यक्रम (एफएलएडीपी):** भारतीय चर्म विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी) का नाम बदलकर वित्त वर्ष 2022-23 में फूटवियर, चर्म और सहायक वस्तु विकास कार्यक्रम (एफएलएडीपी) कर दिया गया है।

6. **औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम (आईआईयूएस):** यह औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्ता अवसंरचना प्रदान करके उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए। चयनित कार्यशील क्लस्टरों में अवसंरचना विकास, राज्य सरकार की कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से किया जाएगा।

7. **मूल्य एवं उत्पादन आंकड़े:** यह योजना 'मूल्य और उत्पादन सांख्यिकी' स्कीम दो जारी पुरानी स्कीमों का विलय करके बनाई गई थी। 12 वीं योजना अवधि के दौरान, ओईए एक योजनागत स्कीम यथा व्यवसाय सेवा मूल्य सूचकांक विकास का संचालन कर रहा था। इसी तरह, डीपीआईआईटी भी औद्योगिक सांख्यिकी का सुदृढ़ीकरण स्कीम का संचालन कर रहा था। इस स्कीम के तहत आवंटित निधि केवल राजस्व व्यय (व्यावसायिक सेवाओं) के लिए है तथा मुख्य रूप से वेतन और मानदेय के भुगतान के लिए और संविदा क्षेत्र के जांचकर्ताओं और पर्यवेक्षकों के परिवहन भत्ते के लिए उपयोग किया जाता है जो एनएसएसओ द्वारा डेटा संग्रहण में लगे हुए हैं तथा आर्थिक सलाहकार द्वारा नियुक्त सलाहकारों को भुगतान अथवा पेशेवर सेवाओं का भुगतान करने के लिए उपयोग किया जाता है।

8. **राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी):** भारत सरकार ने 7 दिसंबर, 2016 को भारत में औद्योगिक कॉरिडोर परियोजनाओं के समन्वित और एकीकृत विकास के लिए मौजूदा दिल्ली मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी) परियोजना कार्यान्वयन न्यास निधि (पीआईटीएफ) के दायरे के विस्तार को मंजूरी दी थी और इसे राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास और कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी) के रूप में पुन: नामित किया गया। एनआईसीडीआईटी, डीपीआईआईटी के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है और वर्तमान में 11 विभिन्न औद्योगिक कॉरिडोर तथा भविष्य में होने वाले विभिन्न औद्योगिक कॉरिडोर भी एनआईसीडीआईटी के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेंगे।

9. **प्रदर्शनी-सह-अभिसमय केन्द्र, द्वारका:** भारतीय अंतर्राष्ट्री य सम्मेलन और एक्स्पो केन्द्र द्वारका, नई दिल्ली की परिकल्पना देश में वैश्विक प्रदर्शनियों को आकर्षित करने के लिए एक प्रतिष्ठित संरचना और केंद्र के रूप में की गई है।

10. **निवेश संवर्धन हेतु योजना:** विभाग ने मेक इन इंडिया पहल की शुरूआत की है, जो भारत को निवेश स्थल और विनिर्माण केन्द्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक वैश्विक संवर्धनात्मक अभियान है। इस पहल का उद्देश्य कार्यबल, अवसंरचना, कच्चे माल तथा अन्य सुविधाओं की अपार क्षमता वाले देश के रूप में स्थापित करना है ताकि देश में निवेश आकर्षित किया जा सके। मेक इन इंडिया पहल को सुदृढ करने के लिए डीपीआईआईटी द्वारा, अन्यों के साथ-साथ, निवेशक सुविधा, निवेशक आऊटरीच, परियोजना प्रबंधन तथा निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों को सहायता प्रदान करने जैसी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

11. **निधियों का कोष:** भारतीय स्टार्टअप परिवेश को अत्यावश्यक प्रोत्साहन प्रदान करने और घरेलू पूंजी तक उसकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कार्पस के साथ स्टार्टअप्स के लिए निधियों के कोष (एफएफएस) को कार्यान्वित किया जा रहा है। एफएफएस को भारतीय लघु उद्योग बैंक (सिडबी) द्वारा प्रबंधित किया जाता है। वर्ष 2015-16 में 500 करोड़ रुपये, वर्ष 2016-17 में 100 करोड़ रुपये, वर्ष 2019-20 में 431.3044 करोड़ रुपये, वर्ष 2020-21 में 429.99 करोड़ रुपये, तथा वर्ष 2021-22 में 830 करोड़ रुपये एफएफएस कॉर्पस के लिए जारी किए गए थे। 30 नवम्बर, 2021 तक कुल 2291.2944 करोड़ रुपये की निधि जारी कि गई है।

12. **क्रेडिट गारंटी निधि:** विभाग में स्टार्टअप के लिए अत्यधिकआवश्यक ऋण वित्तपोषण प्रदान करने के लिए 2000 करोड़ के परिव्यय के साथ स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएस) सृजित करने की प्रक्रिया चल रही है।संकल्पना की प्रूफ, प्रोटोटाइपविकास, उत्पाद परीक्षण,बाजार प्रवेश और व्यावसायीकरण के लिए स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 945 करोड़ रूपये के परिव्यय के साथस्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (एसआईएसएफएस)पर भी विचार किया जा रहा है।

13. **स्टार्ट-अप इंडिया:** भारत अब विश्व के सबसे बड़े स्टार्टअप परिवेश में शामिल है। भारत सरकार अपनी इकाइयों के बीच उद्यमिता की पूर्ण क्षमता और नवप्रयोग की भावना का लाभ उठाने के लिए स्टार्टअप परिवेश को सहायता प्रदान करती रही है। युवा उद्यमियों ने स्टार्टअप के क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम कर रखा है। नवप्रयोग अर्थव्यवस्था में महिला उद्यमी प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। स्टार्टअप्स का एक बड़ा हिस्सा टियर-II और टियर-III के गैर-महानगरीय शहरों से संबंध रखता है।

14. **स्टार्टअप इंडिया प्रारंभिक निधि स्कीम:** भारतीय स्टार्ट-अप परिवेश 'अवधारणा के साक्ष्य' और प्रारंभिक चरण में पूंजी की अपर्याप्ता का सामना करता है। अवधारणा का साक्ष्यत उपलब्धश कराने के बाद ही स्ट्रा्ट-अप्स् को एंजेल निवेशकों और उद्यम पूंजी फर्मों से भारतीय स्टावर्ट-अप परिवेश अवधारणा के साक्ष्यह और प्रारंभिक चरण में पूंजी की अपर्याप्तता का सामना करता है। अवधारणा का साक्ष्यश उपलब्धक कराने के बाद ही स्टा र्ट-अप्सय को एंजेल निवेशकों और उद्यम पूंजी फर्मो से निधीयन उपलब्धे होता है। इसी प्रकार, बैंक भी उन्हींप आवेदकों को ऋण देते हैं जिनके पास पहले से परिसम्पपत्ति हो। डीपीआईआईटी अवधारणा के साक्ष्य , प्रोटोटाइप विकास, उत्पा द परीक्षण, बाजार प्रवेश और वाणिज्यीआकरण हेतु स्टार्ट-अप्स- को वित्तीयय सहायता उपलब्ध् कराने के लिए स्टा्र्ट-अप इंडिया सीड फंड स्कीपम (एसआईएसएफएस) का कार्यान्वियन रहा है।

15. **व्यापार करने की सुगमता:** इस परियोजना का उद्देश्य केंद्र, राज्य तथा स्थानीय प्रशासन की सभी व्यवसाय तथा निवेश संबंधी विनियामक सेवाओं तक को सुविधाजनक बनाकरपहुंच सुनिश्चित करके भारत में एक व्यवसाय और निवेशक अनुकूल परिवेश सृजित करना है।

16. **सफेद बजाजी सामान (एसी एवंएलईडी लाइट) के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम:** माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 वर्ष की अवधि के लिए 6.238 करोड़ रुपये के परिव्यय से 7 अप्रैल, 2021 को व्हाइट गुड्स के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को अनुमोदन प्रदान किया है। इस स्कीम को 16 अप्रैल, 2021 को ई-राजपत्र में अधिसूचित किया गया था और स्कीम के दिशा-निर्देश 4 जून, 2021 को डीपीआईआईटी की वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए थे। यह स्कीम भारत में व्हाइट गुड्स के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देगी और इसके विनिर्माण के लिए बड़े निवेश आकर्षित करेगी। व्हाइट गुड्स क्षेत्र द्वारा अगले दशक में दो अंकों की विकास दर हासिल करने की उम्मीद है।

17. **पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति (एनईआईआईपीपी):** पूर्वोत्तर औद्योगिक औरनिवेश प्रोत्साहन नीति (एनईआईआईपीपी),2007 को 31.03.2017 को समाप्ता कर दिया गया है। हालाँकि, इस योजना की देख-रेख 31.03.2027 तक जारी रखी जाएगी।

18. **उत्तर पूर्व औद्योगिक विकास स्कीम (एनईआईडीएस) 2017:** पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगीकीकरण को बढ़ावा देने और रोजगार को बढाने औऱ आय सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए, एक नई योजना नामत: पूर्वोत्तरऔद्योगिक विकास योजना (एनईआईडीएस), 2017 दिनांक 12.04.2018 को अधिसूचित की गई थी जो कि 01.04.2017 से पांच वर्षों के लिए लागू की गई (31.03.017 को एनईआईआईपीपी, 2007 के समाप्त होने के बाद)।

19. **परिवहन/ माल भाड़ा सब्सिडी स्कीम:** दिनांक 22.11.2016 से परिवहन / मालभाड़ा सब्सिडी योजना (एफएसएस), 2013 को समाप्तय कर दिया गया है। हालांकि, दिनांक22.11.2016 की डीपीआईआईटी की अधिसूचना के जारी होने की तारीख से पहले इस योजना के तहत पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां,दिनांक 21.11.2021 तक इस योजना के लाभ प्राप्तन करने के लिए पात्र होंगी।

20. **विशेष श्रेणी के राज्यों जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के लिए पैकेज:** यह पैकेज संघ शासित प्रदेश जम्मू तथा कश्मीर, संघ शासित प्रदेश लद्दाख और हिमाचल प्रदेश तथाउत्तराखंड राज्यों के लिए है ताकि इन संघ शासित प्रदेशों/राज्यों के औद्योगिक विकास में तेजी लाई जा सके।

21. **जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए औद्योगिक विकास स्कीम,2017:** केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए औद्योगिक विकास स्की्म (आईडीएस, 2017) 23 अप्रैल, 2018 को अधिसूचित की गई थी। इस स्कीूम के तहत लाभों में ऋण तक पहुंच के लिए केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्सा हन (सीसीआईआईएसी), व्यापक बीमा प्रोत्सातहन (सीसीआईआई), केंद्रीय ब्यालज प्रोत्सा)हन (सीआईआई) शामिल हैं। दिनांक 01.01.2019 की अधिसूचना के जरिए चार और घटकों, यथा जीएसटी प्रतिपूर्ति, आयकर प्रतिपूर्ति, परिवहन प्रोत्साूहन और रोजगार प्रोत्सायहन को शामिल किया गया था। इस स्कीयम के तहत लाभों का दावा करने की इच्छुसक इकाइयों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए विभाग द्वारा इन-हाउस पोर्टल का विकास किया गया है। यह स्कीनम दिनांक 15.06.2017 से 31.03.2021 तक वैध है।

स्कीमों के तहत अधिकार प्राप्त समिति ने विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की 212 इकाइयों (जम्मू और कश्मीर=202, लद्दाख = 10) को पंजीकरण प्रदान किया है।

22. **हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास स्कीम,2017:** हिमाचल प्रदेश और उत्ततराखंड के लिए दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2022 तक लागू औद्योगिक विकास स्की्म 23 अप्रैल, 2018 को अधिसूचित की गई थी। इस स्कीकम के तहत लाभों में ऋण तक पहुंच के लिए केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्सा हन (सीसीआईआईएसी) और व्यातपक बीमा प्रोत्सा‍ेहन (सीसीआईआई) शामिल हैं।

स्की म के तहत अधिकार प्राप्तई समिति ने विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की 685 इकाइयों (हिमाचल प्रदेश=441, उत्तराखंड= 244) को पंजीकरण प्रदान किया है।

23. **जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का औद्योगिक विकास:** जम्मू और कश्मीार के औद्योगिक विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की नई स्कीम अधिसूचना जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी और 31.03.2037 तक जारी रहेगी जो स्कीम की अवधि के दौरान 28400 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से निम्नलिखित प्रोत्साहन: i. पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन, ii. पूंजीगत ब्याज सहायता, iii. वस्तु और सेवा कर संबद्ध प्रोत्साहन (जीएसटीएलआई) और iv. कार्यशील पूंजी ब्याज सहायता प्रदान करती है।

24. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में औद्योगिक इकाइयों के लिए केंद्रीय और एकीकृत जीएसटी की वापसी:** सद्भावना प्रदर्शित करने के उपाय के रूप में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में स्थित पात्र इकाइयों हेतु जीएसटी व्यवस्था के तहत बजटीय सहायता स्कीम को 05.10.2017 को अधिसूचित किया गया था ताकि 01.07.2017 से शेष अवधि के लिए उनके दावों की प्रतिपूर्ति के माध्यम से नई जीएसटी व्यवस्था में परिवर्तन करने में पात्र इकाइयों को सहायता प्रदान की जा सके, लेकिन ऐसा 30.06.2027 बाद नहीं किया जाएगा और इसमें करों के मामले में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 58% तक सीमित होगी जिसे राज्यों की हिस्सेदारी के हस्तांतरण से हासिल किया गया है।

25.01. **स्वायत्तशासी संस्थाओं को सहायता:** इस परियोजना के अंतर्गत, स्वा यत्त संस्थाऔओं अर्थात पांच राष्ट्री य डिजाइन संस्थादन अहमदाबाद, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य् प्रदेश और असम, केंद्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान्, राष्ट्री य सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद्, केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्था‍िन, भारतीय रबड़ विनिर्माता अनुसंधान संघ और राष्ट्रीषय उत्पा्दकता परिषद को सहायता प्रदान की जाती है।

25.02. **विश्व बौद्धिक संपदा संगठन:** डब्ल्यूआईपीओ की भारतीय सदस्यता के लिए अंशदान के लिए प्रावधान

25.03. **एशियाई उत्पादकता संगठन /संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन:** आसियान उत्पादकता संगठनतथा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) के भारतीय सदस्यता के लिए अंशदान हेतु प्रावधान।

25.04. **स्वायत्तशासी निकायों को सहायता:** इस परियोजना के तहत स्वायत्त संस्थानों जैसे राष्ट्री य सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद्, सीमेंट उद्योग के लिए विकास परिषद, कागज, लुगदी और संबद्ध उद्योग के लिए विकास परिषद और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को सहायता प्रदान की जाती है।